रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी ,भ्र.नि.ब्यूरो अलवर द्वितीय ....थाना...प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर वर्ष ..2022..
   प्र. इ. रि. सं. 308/22 दिनांक 4/8/2022
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 अधिनियम संशोधित 2018..धारायें...7, 12 पीसी एक्ट .....
   (ब) अधिनियम .....धारायें.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....120बी भादसं.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....79.....समय.....6:30 pm.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक मंगलवार/02.08.2022/समय. 07.00 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 01.08.2022/02.00 पी.एम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा उत्तर पश्चिम लगभग 60 कि0मी0 ....
   (ब) पता–पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर ....बीट सख्या .....जरायमदेहीसं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो–पुलिस थाना..... जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्रीमती मुकेश देवी
   (ब) पति का नाम .... श्री सतीश कुमार .....
   (स) जन्म तिथि /42 वर्ष .....
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
   जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... कृषि .....
   (ल) पता–गांव हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1–श्री रविन्द्र सिंह कविया पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह बारैठ उम्र 51 वर्ष निवासी पैहला बाग सेवापुरा आमेर जिला जयपुर हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर ।

2–श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री यादराम जाति जाट उम्र 49 वर्ष निवासी– मुण्डावर रोड हरसौली, पुलिस थाना खैरथल, जिला अलवर हाल हैड कानि0 नं. 820 पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर ।

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....
   .....1,40,000/–रूपये रिश्वत राशि .....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
    .....1,40,000/--रूपये रिश्वत राशि .....
11. मृत्यू समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यू मामला सं0)(यदि कोई हो तो) नहीं
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में,श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, अलवर द्वितीय अलवर। विषयः– रिश्वत मांग रहे पुलिस वालों को रंगे हाथों पकडवाने बाव्त। महोदय, निवेदन है कि मेरे पति श्री सतीश कुमार के खिलाफ पुलिस थाना बानसूर में श्रीमती संतोष निवासी बासना तहसील बानसूर जिला अलवर ने एक झूंठी शिकायत थाने में दी गई जिस पर दिनांक 17.07.2022 को पुलिस थाना बानसूर के पुलिस वाले सादा बर्दी में हमारे घर पर आये और मेरे पति श्री सतीश कुमार को घर से उठाकर ले गये। दिनांक 17.07.2022 से आज तक मेरे पति को पुलिस थाना बानसूर में नाजायज रूप से बैठा कर रखा है। मै पुलिस थाना बानसूर में मेरे पति को छुडवाने के लिये कई बार थाने में जा चुकी हूं। मै दिनांक 30.07.2022 को दुबारा पुलिस थाना बानसूर पर गई जहां पर मुझे पुलिस थाना बानसूर का कर्मचारी श्री सुरेश कुमार मिला जिससे में पहले भी मेरे पति को छोडने के संबंध में कई बार मिल चुकी हूं। उन्होने मुझे

थाने के गेट के बाहर अलग से ले जाकर मेरे बच्चे साहिल के सामने बात की और कहा कि तेरे पति के खिलाफ संतोष ने 376 की रिपोर्ट थाने पर दे रखी है जो थानाधिकारी साहब के पास है तथा कहा कि तेरा पति लम्बे समय तक जेल में जायेगा तुम्हें यदि इस केस को रफा दफा कराना है तथा अपने पति को छुडाना है तो मुझे दो लाख रूपये देने पडेंगे, मै थानाधिकारी से तेरे इस केस को रफा दफा करा दूंगा, मेरी उनसे से बात हो गई है। मेरे काफी गिडगिडाने व निवेदन करने पर उन्होने कहा कि डेढलाख रूपये से कम नहीं होगें अगर तुझे अपने पति को छुडाना है तो डेढ लाख रूपये तो देने ही पडेंगे नही तो तेरा पति सारी जिन्दगी जेल में ही पडा रहेगा। पुलिस थाना बानूसर का कर्मचारी सुरेश कुमार मुझसे थानेदार व अपने स्वयं के लिये डेढ लाख रूपये रिश्वत में मांग रहा है मै उन्हें रिश्वत देना नहीं चाहती हूं तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहती हूं,, उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थीया मुकेश देवी गांव हरसौली त0 कोटकासिम जि0 अलवर मो0 नम्बर–7413808291, हस्ता0 साहिल पुत्र श्री सतीश कुमार, स्वतंत्र गवाह वीरेन्द्र शर्मा व मनोज ढाका दिनांक 02.08.2022,

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 01.08.2022 को समय 2.00 पी.एम. पर परिवादिया श्रीमति मुकेश देवी पत्नी श्री सतीश कुमार जाति जाट निवासी गांव हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर ने अपने लडके साहिल के हमराह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी अलवर द्वितीय अलवर में मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मुझे पेश की। जिस पर मैने परिवादिया की लिखित रिपोर्ट का अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादिया से पूछताछ की गई तो उसने स्वयं का कम पढालिखा होकर मात्र अपने हस्ताक्षर करना जानना तथा उक्त लिखित रिपोर्ट अपने स्वयं के लडके साहिल के हस्तलेख में बोल–बोल कर लिखवाई हुई होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताया तथा मजीद दरियाफ्त पर बताया कि– मेरे पति श्री सतीश कुमार के खिलाफ पुलिस थाना बानसूर में श्रीमती संतोष निवासी बासना तहसील बानसूर जिला अलवर ने एक झूंठी शिकायत थाने में दी गई जिस पर दिनांक 17.07.2022 को पुलिस थाना बानसूर के पुलिस वाले सादा बर्दी में हमारे घर पर आये और मेरे पति श्री सतीश कुमार को घर से उठाकर ले गये। दिनांक 17.07.2022 से आज तक मेरे पति को पुलिस थाना बानसूर में नाजायज रूप से बैठा कर रखा है। मै पुलिस थाना बानसूर में मेरे पति को छुडवाने के लिये कई बार थाने में जा चुकी हूं। मै दिनांक 30.07.2022 को दुबारा पुलिस थाना बानसूर पर गई जहां पर मुझे पुलिस थाना बानसूर का कर्मचारी श्री सुरेश कुमार मिला जिससे में पहले भी मेरे पति को छोडने के संबंध में कई बार मिल चुकी हूं। उन्होने मुझे थाने के गेट के बाहर अलग से ले जाकर मेरे बच्चे साहिल के सामने बात की और कहा कि तेरे पति के खिलाफ संतोष ने 376 की रिपोर्ट थाने पर दे रखी है जो थानाधिकारी साहब के पास है तथा कहा कि तेरा पति लम्बे समय तक जेल में जायेगा तुम्हें यदि इस केस को रफा दफा कराना है तथा अपने पति को छुडाना है तो मुझे दो लाख रूपये देने पडेंगे, मै थानाधिकारी से तेरे इस केस को रफा दफा करा दूंगा, मेरी उनसे से बात हो गई है। मेरे काफी गिडगिडाने व निवेदन करने पर उन्होने कहा कि डेढलाख रूपये से कम नहीं होगें अगर तुझे अपने पति को छुडाना है तो डेढ लाख रूपये तो देने ही पडेंगे नही तो तेरा पति सारी जिन्दगी जेल में ही पडा रहेगा। पुलिस थाना बानूसर का कर्मचारी सुरेश कुमार मुझसे थानेदार व अपने स्वयं के लिये डेढ लाख रूपये रिश्वत में मांग रहा है मै उन्हें रिश्वत देना नहीं चाहती हूं तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहती हूं। मेरी तथा मेरे किसी परिवार के सदस्य की पुलिस थाना बानसूर के कर्मचारी श्री सुरेश कुमार से कोई नई तथा पुरानी दुश्मनी नहीं है और न ही किसी प्रकार की राशि का कोई लेन–देन बकाया है। मै यह कार्यवाही किसी राजनैतिक कारणों से या किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की स्वेच्छा से नाजायज तौर पर रिश्वत मांगे जाने पर करा रही हूं। परिवादिया ने पूछने आरोपीगण के सही पदनाम की जानकारी नहीं होना बताया तथा

मांगने पर ऐड्रेस प्रूफ बाबत अपने स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिसे शामिल रनिंग नोट किया गया। इसके बाद परिवादिया के साथ आये हुये उसके पुत्र साहिल से पूछताछ की गई तो उसने अपनी मम्मी के कथनों की ताईद की एवं लिखित रिपोर्ट स्वयं के हस्तलेख में अपनी मम्मी के कहे एवं बोले अनुसार लिखी हुई होना बताया, जिस पर उक्त लिखित रिपोर्ट पर प्रमाणस्वरूप साहिल के हस्ताक्षर करवाये गये, एवं उसके आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। इसके बाद परिवादिया से पुलिस थाना बानसूर में उसके पति सतीश कुमार के विरूद्ध दर्ज रिपोर्ट आदि से सम्बन्धित कागाजात के बारे में पूछा तो परिवादिया ने अपने पास कोई कागजात नहीं होना बताया। परिवादिया की लिखित रिपोर्ट एवं की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर उसी रोज समय 3.00 पीएम–पर परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी को आरोपी पुलिस कर्मचारी सुरेश कुमार आदि से रिश्वत राशि की मांग के संबंध में वार्ता कर उक्त वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करके लाने हेतु कहा गया तो परिवादिया ने अपनी सहमति व्यक्त की तत्पश्चात् कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मैक मॉडल सोनी बरंग काला को निकालकर उसमें नया सैल एवं नया 32 जीबी एसडी कार्ड डालकर चालू कर उसके किसी भी फोल्डर में पहले से कोई आवाज आदि रिकार्ड नहीं होना सुनिश्चत कर परिवादिया व श्री रामजीत सिंह कानि0 नं. 206 को डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू तथा बन्द करने का तरीका बताकर श्री रामजीत सिंह कानि0 को जरिये फर्द समय 3.05 पीएम पर सुपुर्द कर परिवादिया व उसके पुत्र के हमराह गन्तव्य स्थान बानसूर में पहुंचकर विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चालू कर अपनी आवाज से दिनांक भरकर एवं परिवादिया से उसका नाम बुलवाकर एवं टेप रिकार्डर प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादिया को उसके पुत्र साहिल के हमराह संदिग्ध आरोपीगण के पास पुलिस थाना बानसूर में भेजकर आरोपीगण द्वारा की जा रही रिश्वत राशि की मॉग के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाकर बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मय परिवादिया व उसके पुत्र साहिल के साथ कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर श्री रामजीत सिंह कानि0 को परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी व उसके पुत्र साहिल के हमराह परिवादिया द्वारा लाई गई स्वयं की अल्टो कार नम्बर आरजे–40 सीबी–4051 से वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन कार्यालय से समय करीब 03.20 पीएम पर रवाना किया गया तथा परिवादिया व उसके पुत्र को आरोपीगण पुलिस कर्मियों के सही पदनाम की जानकारी कर लेकर आने की हिदायत दी गई। इसके बाद उसी रोज समय 08.20 पीएम पर श्री रामजीत सिंह कानि0 नम्बर–206 उपस्थित कार्यालय आया एवं बताया कि मै परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी एवं उसके लडके साहिल के हमराह परिवादिया द्वारा लाई हुई अल्टो कार नम्बर आरजे–40 सीबी–4051 के जरिये अलवर कार्यालय से रवाना होकर समय करीब चार साढे चार पी.एम. के आस पास पुलिस थाना बानसूर के पास पहुंचे जहां पर थाने के पास ही एकान्त स्थान पर मैने अपने पास से विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर निकालकर चालू कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं दिनांक भरकर एवं परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी से उनका नाम एवं टेप प्राप्त करने की वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी को दे दिया जो परिवादिया ने अपने पास रख लिया और परिवादिया टेप रिकार्डर सहित अपने लडके साहिल को साथ लेकर अल्टो कार से पुलिस थाना बानसूर के बाहर पहुंच कार को बाहर खडा कर परिवादिया व उसका लडका साहिल दोनो थाना बानसूर के अन्दर चले गये तथा मै थाने के बाहर ही अपने आपको छिपाता हुआ खडा हो गया करीब ढेड घंटे के बाद परिवादिया व उसका लडका साहिल दोनो पुलिस थाना बानसूर के अन्दर से बाहर आये और अल्टो कार में बैठकर मेरे पास आकर रोड के साईड में कार को खडा कर परिवादिया ने अपने पास से विभागीय टेप रिकार्डर निकालकर मुझे दिया जो चालू हालत में था जिसे मैने लेकर बन्द कर अपने पास बिना छेडछाड किये सुरक्षित रख लिया उसके बाद परिवादिया ने मुझे बताया कि थाने के अन्दर हमारी पुलिस कर्मचारी श्री सुरेश कुमार से मेरे

पति सतीश कुमार जो अभी भी थाने में बन्द है को छोडने के संबंध में बातचीत हो गई है उसने मेरे पति को छुडवाने एवं मामले को रफा दफा करने के बदले में थानेदार के लिये डेढ लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की है तथा मेरे कम करने के निवेदन पर उसने कहा है कि 10–20 हजार रूपये कम पडेंगे तो मै दे दूंगा, सुरेश कुमार पुलिस कर्मचारी ने रूपये लेकर कल दिनांक 02.08.2022 को थाने पर ही बुलाया है मेरे व पुलिस कर्मचारी सुरेश कुमार के बीच में जो रिश्वत मांग के संबंध में बात हुई है उसे टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। जिसके बारे में मैने आपको अवगत करा दिया था। इसके बाद परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी ने कहा कि मेरे घर कोई नहीं है मुझे गांव अपने घर जाना जरूरी है तथा आरोपी द्वारा मांगी गई डेढ लाख रूपये की रिश्वत राशि का भी इन्तजाम करना है, जैसे ही राशि का इन्तजाम हो जायेगा मै आपके कार्यालय में अपने लडके सहित उपस्थित हो जाउंगी, जिसके संबंध में मेरे द्वारा आपसे वार्ता की एवं परिवादिया से भी वार्ता कराई तत्पश्चात आपके निर्देशानुसार परिवादिया को उसके लडके साहिल के हमराह उनकी अल्टो कार से कस्वा बानसूर से ही रवाना कर मै जरिये बस रवाना होकर वापस आया हूं। इस पर समय 09.00 पीएम पर श्री रामजीत सिंह कानि. से विभागीय वॉईस रिकार्डर प्राप्त कर चालू कर उसमें रिकार्ड वार्ता को ईयरफोन की मदद से सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से आरोपी पुलिस कर्मी सुरेश कुमार द्वारा परिवादिया से उसके पति सतीश कुमार को छोडने एवं उसके खिलाफ दर्ज मामले को रफा दफा करने के बदले में थानाधिकारी के लिये डेढ लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत राशि लेकर दिनांक 02.08.2022 को बुलाया जाना स्पष्टतः प्रमाणित पाया गया है। वॉईस रिकार्डर को सुरक्षित मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के कब्जे में कार्यालय की आलमारी में रखा गया। इसके बाद समय 10.50 एएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलबी बाबत् सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अलवर के नाम तहरीर जारी कर श्री सतीश कुमार कानि0 नम्बर 275 को जरिये मोटरसाईकिल कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अलवर रवाना किया गया तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अलवर प्रथम को श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 एवं श्री महेश कुमार कानि0 को वास्ते इमदाद कार्यालय में भिजवाये जाने बाबत निवेदन किया गया। इसके बाद समय 11.50 एएम पर श्री सतीश कुमार कानि0 नम्बर 275 कार्यालय सयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अलवर से दो कार्मिक अपने साथ लेकर आया जिनसे उनके नाम पते पूछे तो उन्होने अपना नाम क्रमशः वीरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री गोबिन्द प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 30 वर्ष निवासी सी–104 अम्बेडकर नगर अलवर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य बीमा एवं भविष्य निधी विभाग, अलवर, एवं मनोज ढाका पुत्र श्री कुलदीप सिंह जाति जाट उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट नेतडवास तहसील धोंद जिला सीकर हाल आवाद डी–25 अम्बेडकर नगर अलवर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य बीमा एवं भविष्य निधी विभाग, अलवर होना बताया जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया। इसके बाद समय 01.50 पीएम पर परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी अपने लडके साहिल के हमराह उपस्थित कार्यालय आई एवं मेरे समक्ष उपस्थित होकर बताया कि हम दोनो अपनी अल्टो कार से आये है कार को मेरी बहन का लडका धर्मवीर चलाकर लाया है जो आपके कार्यालय के नीचे अल्टो कार में ही बैठा हुआ है तथा परिवादिया ने बताया कि दिनांक 01.08.2022 को आपके निर्देशानुसार मै और मेरा पुत्र साहिल एवं आपका कर्मचारी श्री रामजीत सिंह आपके कार्यालय अलवर हमारी अल्टो कार नम्बर आरजे–40 सीबी 4051 से रवाना होकर समय करीब चार साढे चार बजे के आस पास पुलिस थाना बानसूर के पास पहुचे जहां रोड के साईड में एकान्त स्थान देखकर रामजीत सिंह ने कार को रूकवाकर अपने पास से टेप रिकार्डर निकालकर कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं तारीख भरकर एवं मुझसे मेरा नाम बुलवाकर टेप प्राप्त करने संबंधी वार्ता रिकार्ड कर चालू हालत में मुझे दिया जिसको मैने अपने पास रख लिया, उसके बाद मै और पुत्र साहिल दोनो अल्टो कार से पुलिस थाना बानसूर के सामने पहुंचे और कार को बाहर खडी कर थाने के

अन्दर चले गये तथा रामजीत सिंह थाने के बाहर आस–पास ही खडा रहा। मै अपने पुत्र साहिल को लेकर पुलिस थाना बानसूर के अन्दर पहुंची जहां पर थाने के अन्दर ही पुलिस कर्मचारी सुरेश कुमार मिल गया जिससे मैने थाने में बन्द अपने पति सतीश कुमार को छुडाने एवं उसके खिलाफ पुलिस थाने पर दर्ज मामले को रफा दफा करने के संबंध में बातचीत की तो उसने थाने में बन्द किये हुये मेरे पति को छुडाने एवं मामले को रफा दफा कराने के लिये थानाधिकारी के लिये 1.50 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की और मेरे कम करने के निवेदन पर उसने कहा कि 10–20 हजार रू. कम पडेंगे तो मै दूंगा और मुझे दिनांक 02.08.2022 को थाने पर राशि लेकर आने को कहा मेरे द्वारा उसकी सारी बातें टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर ली। उसके बाद मै अपने पुत्र सहित थाने से बाहर आई और अपने लडके सहित कार में बैठकर थाने से कुछ आगे पहुंची जहां पर एक तरफ आपका कर्मचारी रामजीत सिंह मिल गया जिसको कार में बैठाकर उसे मैने टेप रिकार्डर चालू हालत में अपने पास से निकालकर दे दिया जिसको रामजीत सिंह ने बन्द कर अपने पास रख लिया फिर मैने रामजीत सिंह को पुलिस कर्मी सुरेश कुमार से हुई सारी बातें बता दी, जिसके बारे में रामजीत सिंह ने आपको फोन कर बता दिया था तथा मेरी भी आपसे वार्ता कराई थी। इसके बाद मैने रामजीत सिंह से कहा कि मेरे घर कोई नहीं है मुझे गांव अपने घर जाना जरूरी है तथा आरोपी द्वारा मांगी गई डेढ लाख रूपये की राशि का इन्तजाम भी करना है, जैसे ही राशि का इन्तजाम हो जायेगा मै आपके कार्यालय में अपने लडके सहित उपस्थित हो जाउंगी, जिसके संबंध में रामजीत सिंह द्वारा आपसे वार्ता की एवं मेरी भी आपसे वार्ता कराई थी। उसके बाद आपके निर्देशानुसार आपका कर्मचारी रामजीत सिंह टेप रिकार्डर को लेकर बस से अलवर के लिये रवाना हो गया था तथा मै और मेरा लडका साहिल दोनो अपनी कार के जरिये बानसूर से अपने गांव हरसौली चले गये थे और आज रिश्वत राशि 1.40 लाख रू. का इन्तजाम कर साथ लेकर आये है। परिवादिया ने बताया कि गोपनीय तौर पर थानाधिकारी व सुरेश कुमार के पदनाम के बारे में जानकारी करने पर थानाधिकारी का नाम रविन्द्र सिंह कविया एवं सुरेश कुमार का पद हैड कानि0 होना जानकारी में आया है। परिवादियां एवं उसके लडके साहिल को कार्यालय में अलग से बैठाया गया। इसके बाद समय 02.10 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित गवाहान वीरेन्द्र शर्मा वरिष्ठ सहायक एवं श्री मनोज ढाका कनिष्ठ सहायक कार्यालय राज्य बीमा एवं भविष्य निधी विभाग, अलवर को एवं परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी व उसके लडके साहिल को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने कक्ष में बुलाकर सर्वप्रथम दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति प्राप्त की गई तथा दोनो गवाहान का उपस्थित परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी व उसके लडके साहिल से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादिया द्वारा थानाधिकारी व सुरेश कुमार पुलिस कर्मी थाना बानसूर के विरूद्ध रिश्वत मांगने एवं रिश्वते लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 01.08.2022 को दिखाया व पढवाया गया तथा रिपोर्ट पर दोनो गवाहो के हस्ताक्षर दिनांक अंकित करवाये गये। इसके बाद समय 2.25 पीएमः पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री वीरेन्द्र शर्मा वरिष्ठ सहायक व श्री मनोज ढाका कनिष्ठ सहायक एवं परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी व उसके लडके साहिल के सामने मेरे कब्जे की कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादिया श्रीमती मुकेश एवं आरोपी श्री सुरेश कुमार पुलिस कर्मी के मध्य दिनांक 01.08.2022 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर डिजीटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंशों को टेबिल स्पीकरों की मदद से सुना व परिवादिया एवं गवाहान को सुनाया गया जिसमें आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 द्वारा परिवादिया से 1.50 लाख रू0 रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत होना पाया गया। चूंकि रिश्वत मांग सत्यापन के समय की उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांस्क्रीप्ट तैयार करने में समय अधिक लगने तथा समय अभाव के कारण रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रास्क्रीप्ट

व सीडीयां अभी बल्कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान बाद में तैयार किया जाना उचित समझते हुये मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सुरक्षित अपने कब्जे में लिया गया। इसक बाद समय 03.05 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहानं श्री वीरेन्द्र शर्मा वरिष्ठ सहायक व श्री मनोज ढाका कनिष्ठ सहायक के सामने मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी को आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने को कहा तो परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी अपने पुत्र साहिल की मौजूदगी में आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 द्वारा थानाधिकारी श्री रविन्द्र सिंह कविया के लिये मांगी गई 1.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि का इन्तजाम न होकर मात्र एक लाख चालीस हजार रूपये का ही स्वयं के पास इन्तजाम होना बताते हुये अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2000–2000 रूपये के 05 नोट एवं 500–500 रूपये के 230 नौट व 200–200 रूपये के 75 नोट कुल 1,40,000/–रूपये (एक लाख चालीस हजार रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के निकाल कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये, जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादिया को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात सतीश कुमार कानि0 275 से कार्यालय की आलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवाकर मंगाई जाकर सतीश कुमार कानि0 नं0 275 से फिनोफ्थलीन पाऊडर एक अखवार पर निकलवाकर 1,40,000/–रूपये के नम्बरी नोटो पर भली–भांति लगवाया गया, तत्पश्चात परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी की जामा तलासी स्वयं से ही लिवाई जाकर उसके पास बदन पर पहने हुये कपडों, मोबाईल फोन खाली छोटा बटुआ एवं एक पॉलोथीन थैली बरंग लाल के अलावा कोई वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद सतीश कुमार कानि0 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये 1,40,000/–रूपये के नोट परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी के पास मौजूद पौलोथीन की थैली बरंग लाल के अन्दर रखवाकर पाउडरयुक्त नोट थैली सहित परिवादिया को सुपुर्द किये गये तथा परिवादिया को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर उसे देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां पर रखा जाता है, इसका पूरा–पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत में उक्त नोट प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर अपनी अल्टो कार की पार्किंग लाईट अपने चालक के जरिये जलवाकर या मोबाईल फोन से मिसकॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे साथ ही परिवादिया के पुत्र श्री साहिल को परिवादिया के साथ साथ रहने की हिदायत दी गई तथा दोनो गवाहो को भी हिदायत दी गई कि वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादिया व आरोपी के बीच में होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री लोकेश कुमार कानि0 से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और अजय कुमार मुख्य आरक्षक से उसके हाथ साबुन व साफ पानी से साफ कराकर ट्रेप बोक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्वोनेट पाऊडर की शीशी को निकलवाकर गवाह श्री वीरेन्द्र शर्मा से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त घोल का रंग नहीं बदला, जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले सतीश कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को अंगुठें सहित डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादिया एवं उसके पुत्र साहिल एवं दोनो गवाहो को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शीशी को ढक्कन बंद करवाकर सतीश कुमार कानि0 से वापस कार्यालय के रखी आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को

ट्रेप बोक्स में अजयकुमार मुख्य आरक्षक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद सतीश कुमार कानि0 से गिलास के धोवन को बाहर नाली में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कार्यालय में रखवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों–कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, कांच के गिलासों, चम्मच आदि को अजय कुमार मुख्य आरक्षक से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादिया एवं उसके लडके साहिल तथा, अजयकुमार मुख्य आरक्षक, श्री राजवीर कानि. के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये । इसके बाद परिवादिया को छोडकर दोनों गवाहान तथा परिवादिया के लडके साहिल एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों व मन पुलिस उप अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलासी लिवाई गई जिसमें परिवादिया के लडके साहिल एवं दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन पुलिस उप अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी को रिश्वत लेन–देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 04.10 पीएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा श्री नरेन्द्र कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 50 व श्री महेश कुमार कानि0 नम्बर 462 एसीबी चौकी अलवर प्रथम अलवर उपस्थित कार्यालय आये है जिन्हें बाद हिदायत कार्यालय में बैढाया गया तथा समय 04.20 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं कार्यालय स्टाफ के हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया जाकर श्री परिवादिया श्रीमति मुकेश देवी एवं उसके लडके साहिल को एवं कानि0 रामजीत सिंह नम्बर 206 को परिवादिया द्वारा लाई हुई उनकी अल्टो कार नम्बर आरजे–40 सीबी 4051 से मय चालक धर्मवीर के आगे–आगे रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री निहाल सिंह कानि0 नम्बर 595 व स्वतंत्र गवाह श्री वीरेन्द्र शर्मा के प्राईवेट मोटरसाईकिल से एवं श्री लोकेश कुमार कानि0 नम्बर 320 व स्वतंत्र गवाह श्री मनोज ढाका को प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना कर मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्टाफ सदस्य श्री अजय कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 36, श्री नरेन्द्र कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 50 व श्री महेश कुमार कानि0 नम्बर 462 एवं श्री धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक को मय ट्रेप वोक्स एवं लेपटोप मय प्रिंटर आदि सामग्री सहित जरिये प्राईवेट वाहन लेकर एसीबी कार्यालय अलवर से रवाना कस्वा बानसूर हुआ, कार्यालय में महेश कुमार चालक एवं नोटो पर पाउडर लगाने वाले कानि0 श्री सतीश कुमार को बाद हिदायत छोडा गया। समय 05.40 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के रवाना शुदा कस्वा बानसूर से 3–4 किलोमीटर पहले पहुंचा और वाहनों/मोटरसाईकिलो से रोड के बांई साईड में अलग अलग खडा करवाया गया जहां पर परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी ने मुझे बताया कि अभी–अभी आरोपी सुरेश कुमार हैड कानि0 के मोबाईल फोन नम्बर–9414575149 से मेरे लडके साहिल के मोबाईल फोन नम्बर–7340428026 पर मिस कॉल किया है जिस पर परिवादिया को अपने लडके साहिल के मोबाईल फोन से आरोपी सुरेश कुमार हैड कानि0 के मोबाईल फोन पर वार्ता कर उसकी उपस्थित बाबत जानकारी करने हेतु कहा गया जिस पर समय 5.45 पीएम परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी ने अपने लडके साहिल के मोबाईल फोन नम्बर–7340428026 से आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 के मोबाईल फोन नम्बर–9414575149 को मिलाकर वार्ता की तो आरोपी सुरेश कुमार हैड कानि0 द्वारा सीधे ही स्वयं वार्ता ना कर परिवादिया की उसके थाना में बन्द पति सतीश कुमार से वार्ता कराई जाकर सीधा पुलिस थाना बानसूर पर शीघ्र पहुंचने के लिये कहा गया उक्त वार्ता को परिवादिया के सुपुर्द शुदा विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया,

तत्पश्चात मन पुलिस उप अधीक्षक मय गवाहान, परिवादिया एवं उसके लडके साहिल एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को परिवादिया की अल्टो कार एवं प्राईवेट वाहन तथा प्राईवेट मोटरसाईकिलो के पुलिस थाना बानसूर के लिये रवाना हुआ तथा समय 6.10 पीएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के रवाना शुदा कस्वा बानसूर में पुलिस थाने से पहले रोड पर पहुंचा और वाहनों/मोटरसाईकिलो को पुलिस थाने से कुछ दूरी पर निर्जन स्थान पर एक साईड में खडा करवाकर परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी को उसके लडके साहिल के उनकी अल्टो कार से परिवादिया की बहन के लडके धर्मवीर के परिवादियां के सुपुर्द शुदा वाईस रिकार्डर को जरिये कानि0 रामजीत चालू कराकर आरोपी सुरेश कुमार हैड कानि0 के पास पुलिस थाना बानसूर के लिये रवाना किया गया तथा उनके पीछे पीछे श्री अजय कुमार हैड कानि0 नम्बर 36 व श्री लोकेश कुमार कानि0 नम्बर 320 एवं श्री निहाल सिंह कानि0 नम्बर 595 व श्री रामजीत सिंह कानि0 नम्बर 206 को बाद हिदायत जरिये दो प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना किया गया तथा उनके पीछे पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 नम्बर 50 व श्री महेश कुमार कानि0 नम्बर 462 एवं धर्मवीर गुर्जर वरिष्ठ सहायक सहित वाहन को कुछ आगे लेकर थाने की तरफ जाने वाले रोड से पहले साईड में खडा कर मुकीम हुआ। कुछ समय के बाद श्री रामजीत सिंह ने जरिये फोन मुझे बताया कि परिवादिया अपनी अल्टो कार सहित पुलिस थाना बानसूर के पास पहुंच गई है और थाने से बाहर अपनी कार में चालक सहित बैठी हुई है तथा उसका लडका साहिल थाने के अन्दर गया हुआ है। मै और निहाल सिंह कानि0 एवं श्री अजय कुमार हैड कानि0 व श्री लोकेश कुमार कानि0 थाने के आस–पास ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मोटरसाईकिलों सहित परिवादिया एवं उसकी गाडी पर नजर रखे निर्धारित ईशारे के इन्तजार में खडे हुये है। प्राप्त सूचना मुताबिक परिवादिया के अगले ईशारे का इन्तजार किया । इसके बाद समय 7.00 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री वीरेन्द्र शर्मा वरिष्ठ सहायक व श्री मनोज ढाका कनिष्ठ सहायक के सामने परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी पत्नी श्री सतीश कुमार निवासी हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर ने पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर के परिसर के मैन गेट के बाहर खडी अल्टो कार नं. आरजे 40 सीबी 4051 बरंग सफेद के अन्दर मय चालक बैठे हुये गाडी की पार्किंग लाईट जलाकर ट्रैप का निर्धारित ईशारा किया जिसकी सूचना जरिये अजय कुमार हैड कानि0 नं. 36 के प्राप्त होने पर मन उप पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही उक्त गाडी के पास पहुंचा तो उक्त गाडी के अन्दर से दो व्यक्ति बाहर निकले जिसमें एक व्यक्ति ने बनियान व पेन्ट तथा जीन्स पेन्ट व टी–शर्ट पहन रखी थी। उक्त दोनों व्यक्ति थाने के अन्दर जाने लगे इसी बीच परिवादिया भी उक्त गाडी से बाहर आई जिससे सुपुर्द शुदा डिज़िटल टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर व बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात ही परिवादिया ने बताया कि उक्त दोनों व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि जिस व्यक्ति ने बनियान पेन्ट पहन रखी है वह मेरा पति सतीश कुमार है और जो दूसरा व्यक्ति है वह सुरेश कुमार जी पुलिस वाले है जिन्होने अभी अभी मुझसे गाडी के अन्दर बैठकर पाउडर युक्त रिश्वत राशि 1.40 लाख रूपये लाल रंग की पोलोथिन सहित लेकर व उक्त रिश्वत राशि को गिनकर व वापिस थैली में रखकर अपनी पहनी हुई बनियान के अन्दर रख लिये है, जो अभी भी उनके पास ही है। जिस पर मन उप पुलिस अधीक्षक मय गवाहान मय परिवादिया एवं ट्रैप पार्टी सदस्यों के साथ पुलिस थाना बानसूर परिसर के मैन गेट से थाने के चैनल गेट से अन्दर पहुँचा तो परिवादिया द्वारा बताये गये उक्त हुलिये के अनुसार चैनल गेट के पास उसके पति सतीश कुमार के पास खडे हुये जीन्स पेन्ट व टी–शर्ट पहने हुये व्यक्ति को मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम सुरेश कुमार पुत्र श्री यादराम जाति जाट उम्र 49 वर्ष निवासी–मुण्डावर रोड हरसौली, पुलिस थाना खैरथल, जिला अलवर हाल हैड कानि0 नं. 820 पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर होना बताया। इस पर आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 से

परिदादिया श्रीमति मुकेश देवी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि 1.40 लाख रूपये के बारे पूछा तो उसने बताया कि श्रीमति मुकेश देवी के पति श्री सतीश कुमार के खिलाफ थाना बानसूर पर मुकदमा नं. 434/2022 अन्तर्गत धारा 376 व 506 में दर्ज है जिसकी तफतीश श्री रविन्द्र सिंह कविया जी थानाधिकारी कर रहे है। दिनांक 17.07.2022 को थानाधिकारी श्री रविन्द्र सिंह कविया जी, द्वारा थाना स्टाफ को भेजकर सतीश कुमार को उसके गांव हरसौली से थाने पर बुलाया था। तब से लेकर आज दिनांक 02.08.2022 तक थानाधिकारी रविन्द्र सिंह कविया द्वारा बिना लिखा पढी अवैध रूप से थाना की हवालात में बैठा रखा है। सतीश कुमार मेरे गांव हरसौली का है जिसे छुडवाने के लिए सतीश कुमार की पत्नि मुकेश अपने लडके साहिल के साथ थाना बानसूर पर आई थी और मुझसे अपने पति सतीश कुमार को छुडवाने के सम्बन्ध में बातचीत की थी, जिस पर मेरे द्वारा थानाधिकारी रविन्द्र सिंह कविया जी से सतीश कुमार को छोडने व उसके विरूद्ध थाना पर दर्ज मुकदमें के सम्बन्ध में बात की तो कविया जी ने सतीश कुमार को छोडने व उक्त मुकदमें को रफादफा करने के बदले में 02 लाख रूपये लेने के लिए कहा। इस पर मैने मुकेश देवी को कहा कि थानेदार जी 02 लाख रूपये की मांग कर रहे है। इस पर मुकेश देवी अपने लडके सहित थाने पर से चली गई थी। इसके बाद दिंनाक 01.08.2022 को यह मुकेश देवी दुबारा अपने लडके साहिल के साथ मेरे पास थाने पर दोपहर बाद आई थी और अपने पति को छोडने व मुकदमें को रफादफा करने के सम्बन्ध में कहा। इस पर मैने थानाधिकारी के कहे अनुसार 1.50 लाख रूपये मागे थे तो मुकेश देवी ने 1.50 लाख रूपये में से कम करने के लिए कहा तो मैने कहा कि 10–20 हजार कम पडेगे तो मै दे दूंगा। इसके बाद मुकेश देवी पैसों की व्यवस्था कर लाने की कहकर थाने से अपने लडके के साथ चली गई थी और आज अभी अभी कुछ देर पहले यह मुकेश देवी अपने लडके साहिल के साथ ही थाने पर आई और बाहर गाडी में बैठी रही और अपने लडके साहिल को थाने के अन्दर भेजकर मुझे बाहर बुलाकर कहा कि मेरे पति से मिला दो मै पैसो का इन्तजाम कर ले आई हूं इस पर मै वापस थाने के अन्दर गया और थाने पर पूर्व से हवालात में बैठाये हुये इनके पति सतीश कुमार को थाने के अन्दर से लेकर वापस इनके पास आया और सतीश कुमार को गाडी के अन्दर बैठाकर इनसे मिलाया फिर इन्होने मुझे भी अपनी गाडी के अन्दर बैठा लिया और गाडी के अन्दर बैठे–बैठे इस मुकेश देवी ने मुझे अपने पास से एक लाल पोलोथीन की थैली निकालकर दी और कहा कि इसमें 1 एक लाख चालीस हजार रूप्ये है जिस पर मैने थैली लेकर उसमें रखे रूपयों को गिना तो उसमें 1 लाख चालीस हजार रूपये थे उक्त नोटो को गिनकर वापस थैली में रखकर मैने अपनी बनियान के अन्दर रख लिया और इस सतीश को साथ लेकर गाडी से उतर कर थाने के अन्दर चैनल गेट पर आया ही था कि आपने आकर मुझे पकड लिया मैने यह रूपये थानाधिकारी श्री रविन्द्र सिंह कविया के कहे एवं मांगे अनुसार ही मांगकर इस मुकेश देवी से लिये है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसके बाद श्री सुरेश कुमार से थानाधिकारी रविन्द्र सिंह कविया के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह अपने रीडर देवी सिंह हैड कानि0 सहित किसी तफतीश में बाहर गये हुये है। जिस पर थाना पर उपस्थित हैड कानि0 गिर्राज सिंह से उनके मोबाईल नं. 9460322330 द्वारा थानाधिकारी रविन्द्र सिंह कविया को उनके मोबाईल फोन नं. 9461629292 पर फोन कर थाना पर उपस्थित होने बाबत कहा गया तो गिर्राज सिंह हैड कानि द्वारा अपने मोबाईल फोन से थानाधिकारी रविन्द्र सिंह कविया का फोन मिलाकर मन पुलिस उप अधीक्षक की वार्ता कराई जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा थानाधिकारी रविन्द्र सिंह कविया को हालातों के बारे में अवगत कराते हुये वास्ते पूछताछ थाना बानसूर पर शीघ्र उपस्थित होने हेतु कहा गया तो उन्होने शीघ्र आने के लिये कहा। इसके बाद श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 द्वारा लिये गये बचाव के संबंध में परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि– मेरे पति श्री सतीश कुमार के खिलाफ पुलिस थाना बानसूर में श्रीमती संतोष निवासी बासना तहसील बानसूर जिला अलवर ने एक झूंठी शिकायत थाने में दी थी जिस पर दिनांक 17.07.2022 को पुलिस थाना बानसूर

के पुलिस वाले सादा बर्दी में हमारे घर पर आये और मेरे पति श्री सतीश कुमार को घर से उठाकर ले गये। दिनांक 17.07.2022 से आज तक मेरे पति को पुलिस थाना बानसूर में नाजायज रूप से हवालात में बैठा कर रखा है। मै पुलिस थाना बानसूर में मेरे पति को छुडवाने के लिये कई बार थाने में गई तथा दिनांक 30.07.2022 को दुबारा पुलिस थाना बानसूर पर गई जहां पर मुझे पुलिस थाना बानसूर पर यह सुरेश कुमार मिला जिससे मैं पहले भी मेरे पति को छोडने के संबंध में कई बार मिल चुकी हूं। इन्होने मुझे थाने के गेट के बाहर अलग से ले जाकर मेरे बच्चे साहिल के सामने बात की और कहा कि तेरे पति के खिलाफ संतोष ने 376 की रिपोर्ट थाने पर दे रखी है जो थानाधिकारी साहब के पास है तथा कहा कि तेरा पति लम्बे समय तक जेल में जायेगा तुम्हें यदि इस केस को रफा दफा कराना है तथा अपने पति को छुडाना है तो मुझे दो लाख रूपये देने पडेंगे, मै थानाधिकारी से तेरे इस केस को रफा दफा करा दूंगा, मेरी उनसे से बात हो गई है। मेरे काफी गिडगिडाने व निवेदन करने पर उन्होने कहा कि डेढलाख रूपये से कम नहीं होगें अगर तुझे अपने पति को छुडाना है तो डेढ लाख रूपये तो देने ही पडेंगे नही तो तेरा पति सारी जिन्दगी जेल में ही पडा रहेगा। जिस पर मेरे द्वारा सुरेश कुमार द्वारा मुझसे थानेदार व अपने स्वयं के लिये डेढ लाख रूपये रिश्वत में मांग करने एवं इन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने के संबंध में दिनांक 01.08.2022 को आपके कार्यालय अलवर में जाकर आपसे मिलकर लिखित शिकायत प्रस्तुत की जिस पर आपके द्वारा उसी रोज मुझे व मेरे लडके साहिल को अपने कर्मचारी श्री रामजीत सिंह के साथ टेप रिकार्डर सहित रिश्वत की मांग के सम्बन्ध में इस सुरेश कुमार से वार्ता करने के लिये पुलिस थाना बानसूर भेजा था जिस पर मैने पुलिस थाना बानसूर पर आकर इस सुरेश कुमार से अपने पति सतीश कुमार छोडने व मुकदमा को रफा दफा करने के संबंध में बात की तो इन्होने मुझसे थानाधिकारी के कहने पर 1.50 लाख रूप्ये रिश्वत राशि की मांग की और कहा कि 10–20 हजार कम पडेंगे तो मै दे दूंगा और रिश्वत के पैसे लेकर आज दिनांक 02.08.. 2022 को थाने पर बुलाया जिस पर आज दिनांक 02.08.2022 को मै अपने लडके साहिल सहित अल्टो कार से थाने पर आई और थाने के बाहर गाडी खडी करवाकर अपने लडके को थाने के अन्दर भेजकर इन्हें बाहर बुलाया जिस पर ये मेरे पास आये तो मैने इन्हें पैसे लेकर आने की बात बताई और अपने पति से मिलाने को कहा तो ये थाने के अन्दर गये और मेरे पति सतीश कुमार जी को साथ लेकर थाने के बाहर आये और हमारी अल्टो कार के अन्दर बैठकर मुझे मेरे पति से मिलाया और मुझसे पैसे मांगे जिस पर मैने अपने पास से पाउडरयुक्त राशि 1.40 लाख रू. पालोथीन थैली सहित इनको दिये तो इन्होने रूप्यों को थैली सहित अपने हाथ से लेकर थैली के अन्दर रखे हुये नोटो को निकालकर अपने दोनो हाथों से गिना और वापस थैली के अन्दर रखकर रूपयों को थैली सहित अपनी पहनी हुई बनियान के अन्दर रख लिया और ये गाडी में से उतर तथा मेरे पति को भी गाडी से उतार कर अपने साथ थाने के अन्दर जाने लगे इसी बीच मैने आपको बताया हुआ ईशारा अल्टो कार की पार्किंग लाईट जलाकर कर दिया जिस पर आप अपनी टीम सहित मेरे पास आ गये और मेरे ईशारे अनुसार इस सुरेश कुमार को पकड लिया। इसके बाद परिवादिया के लडके साहिल से पूछताछ की गई तो उसने अपनी मम्मी मुकेश देवी के कथनों की ताईद की। इसके बाद पुलिस थना बानसूर में थानाधिकारी श्री रविन्द्र सिंह कविया द्वारा अवैध हिरसत में रखे हुये परिवादिया के पति श्री सतीश कुमार से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि–दिनांक 17.07.2022 को शाम के छः साढे छः बजे के आस पास पुलिस थाना बानसूर के पुलिस कर्मी महेन्द्र सिंह व सुरेश गुर्जर व अन्य 4–5 जवान जो सभी सादा कपडों में थे और बोलेरो गाडी से मेरे गांव हरसौली मेरे घर आये और पुलिस कर्मी महेन्द्र ने मुझे कहा कि तेरे खिलाफ पुलिस थाना बानसूर में धारा 376 का मुकदमा दर्ज है सी0आई साहब ने तुझे थाने बुलाया है तुझे थाने चलना है। इस पर सादा कपडों में आये पुलिस वालों ने जबरदस्ती मुझे बोलेरों गांडी में बिठाकर पुलिस थाना बानसूर में ले आये और सीआई साहब से मिलाया। सीआई साहब ने मुझे थाने की हवालात में

बन्द करवा दिया। सीआई साहब ने मेरे से कोई कागज पर हस्ताक्षर नही करवाये। इसके बाद मेरी पत्नि मेरा लडका साहिल दोनों मुझसे थाने पर मिलने आये और हमारे गांव के इस सुरेश कुमार हैड कानिस्टेबल से मिले तो इसने मेरी पत्नि मुकेश देवी से सीआई के कहने पर 02 लाख रूपये मुझे छोडने व रफादफा करने के बदले 02 लाख रूपये रिश्वत में मांगे। उसके बाद दिनांक 01.08.2022 को मेरी पत्नि मुकेश देवी व मेरा लडका साहिल थाने पर आये थे, उस रोज भी मुझे थाने की हवालात में बन्द कर रखा था। उस दिन भी सुरेश कुमार हैड कानिस्टेबल ने सीआई के कहने व मांगने पर मेरी पत्नि से 1.50 लाख रूपये रिश्वत के मांगे थे। जिस पर मेरी पत्नि ने मुझे थाने पर ही मिलकर बताया था। इसके बाद आज मेरी पत्नि और मेरा लडका अल्टो कार से थाने पर आये तो इस सुरेश कुमार हैड कानिस्टेबल ने मुझे थाने के अन्दर से थाने के बाहर ले जाकर गाडी में बैठी मेरी पत्नि से गांडी में बैठाकर मिलाया था और इसी दौरान इस सुरेश कुमार हैड कानिस्टेबल ने मेरी पत्नि से 1.40 लाख रूपये जो एक लाल रंग की थैली में थे को लेकर व गिनकर अपने बदन पर पहनी हुई बनियान में रख लिये और मुझे गाडी से उतारकर थाने के अन्दर लेकर आये। इसके बाद आपके द्वारा श्री सुरेश कुमार हैड कानिस्टेबल को पकड लिया था। आज दिनांक 02.08.2022 को सीआई साहब रविन्द्र जी ने अपने कमरे में मुझे बुलाकर कहा कि बेटे जब तक आप पैसे नही दोगे तब तक आपको नही छोडेगे उस समय यह सुरेश कुमार हैड कानिस्टेबल भी मौजूद थां। इसके बाद सतीश कुमार द्वारा बताये गये कथनों के बारे में सुरेश कुमार हैड कानि0 से पुनः पूछताछ की गई तो उसने अपने पूर्व के कथनों के अलावा अन्य कोई नई बात नही बताई। तत्पश्चात् सुरेश कुमार हैड कानि0 को एसएचओ कक्ष में ले जाकर एक कुर्सी पर बैठाया गया। तत्पश्चात पुलिस थाना बानसूर में रखे एक पानी के कैम्पर से जरिये निहाल सिंह कानि0 से काँच के दो साफ गिलासों को पुनः साबुन व पानी से साफ कराकर उन गिलासों में साफ पानी भरवाकर उनमें गवाह श्री वीरेन्द्र शर्मा से एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को को दिखाया तो सभी ने दोनो गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी सुरेश कुमार हैड कानि0 के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क आर–1, आर–2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे कॉच के गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउड़र के घोल मे आरोपी सुरेश कुमार हैड कानि0 के बांये हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीन ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क एल 1, एल 2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी सुरेश कुमार हैड कानि0 को परिवादिया मुकेश देवी से प्राप्त की गई 1,40,000/–रूपये की रिश्वत राशि को पेश करने के लिए कहा तो सुरेश कुमार हैड कानि0 ने अपने बदन पर पहनी हुई बनियान अंदर से एक लाल रंग की पोलोथीन की थैली जिसके अन्दर रिश्वत राशि रखी हुई को निकालकर पेश की। उक्त पोलोथीन की थैली को सीधे ही गवाह श्री मनोज ढाका को दिलवाया जाकर उक्त गवाह से उक्त थेली के अन्दर रखी हुई रिश्वत राशि को बाहर निकलवाकर उक्त राशि को गिनवाया गया तो 2000–2000 रूपये के 05 नोट एवं 500–500 रूपये के 230 नोट तथा 200–200 रूपये के 75 नोट कुल 1,40,000/–रूपये (एक लाख चालीस हजार रूपये) होना बताया। उक्त बरामद शुदा 1,40,000/–रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे

अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। बरामद शुदा 1,40,000/–रूपये रिश्वत राशि नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर बरामद शुदा नम्बरी रिश्वती नोटों को मय लाल रंग की पोलोथीन की थैली सहित एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील चिट मोहर कर कागज की चिट पर दोनों गवाहान, परिवादिया व उसके पति सतीश कुमार व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री सुरेश कुंमार हैड कानि0 से परिवादिया मुकेश देवी के पति सतीश कुमार के विरूद्ध पुलिस थाना बानसूर में दर्ज मुकदमा नं. 434/2022 से सम्बन्धित पत्रावली के बारे में पूछा तो आरोपी श्री सुरेश कुमार ने बताया कि उक्त मुकदमा की पत्रावली श्री रविन्द्र सिंह कविया सीआई साहब के रीडर श्री देवीसिंह हैडकानि0 के पास उनके कक्ष में है। जिसका लॉक लगा हुआ है और चांबी रीडर श्री देवीसिंह जी के पास है जो सीआई साहब के साथ किसी तफतीश में बाहर गये हुये है। उक्त पत्रावली थानाधिकारी व रीडर के थाने पर आने पर प्राप्त कर उसे पृथक से प्राप्त कर जरिये फर्द जप्ती जप्त की जावेगी। इसके बाद श्री रविन्द्र सिंह कविया थानाधिकारी के इस समय तक थाने पर बुलाये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही आने पर उनके मोबाईल फोन नं. 9461629292 पर सम्पर्क किया तो थानाधिकारी का उक्त मोबाईल नं. स्वीच ऑफ मिला। इसके बाद मुकदमा नं. 434/2022 की एफ0आई0आर की प्रमाणित प्रति एवं रोजनामचाआम दिनांक 15.07.2022 से 02.08.2022 तक समय 06.30 पी0एम रपट संख्या 039 की प्रमाणित प्रति थाना हैड मोर्रेर श्री गिर्राज सिंह हैड कानि0 से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद श्री गिर्राज सिंह हैड कानि0 नं. 52 से श्री सतीश कुमार को पुलिस थाने पर बैठाये जाने के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इस सतीश कुमार को थानाधिकारी श्री रविन्द्र सिंह कविया द्वारा दिनांक 17.07.2022 से आज दिंनाक 02.08.2022 तक मुताबिक थाना रिकॉर्ड बिना किसी लिखा पढी के थाना हवालात में बैठा रखा हैं। जिसको मैं दिनांक 17.07.2022 से 02.08.2022 तक थाना की हवालात में देखता आ रहा हूं। इसके बाद मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादिया मुकेश देवी से प्राप्त कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉडर को दोनों गवाहान व परिवादिया की मौजूदगी में चालू कर ईयरफोन की मदद से सुना गया तो डिजिटल वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन–देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं सीडी पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 व परिवादिया मुकेश देंवी व उसके पति से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन–देन तो बकाया नही है तो तीनों ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 12.00 पीएम पर श्री महेश कुमार कानि0 चालक सं. एसीबी अलवर द्वितीय अलवर को जरिये दूरभाष पूर्व से पाबन्द शुदा श्रीमती सुनीता गुप्ता महिला कानि0 नम्बर 201 एसीबी चौकी अलवर प्रथम को जरिये सरकारी वाहन टवेरा गाडी से हमराह लेकर पुलिस थाना बानसूर पर शीघ्र उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया तथा इस बाबत श्रीमति सुनीता गुप्ता महिला कानि0 को भी अवगत कराया गया तत्पश्चात दिनांक 03.08.2022 को समय 12.05 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी व उसके पति श्री सतीश कुमार एवं आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 की मौजूदगी में थाने पर उपस्थित आये हुये श्री मृत्यूंजय मिश्रा पुलिस उप अधीक्षक बृत्त बानसूर जिला अलवर से मांगने पर परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी के पति श्री सतीश कुमार के विरूद्ध पुलिस थाना बानसूर में दर्ज मुकदमा नम्बर 434/2022 दिनांक 17.07.2022 अन्तर्गत धारा 376,, 506 आईपीसी की पत्रावली थानाधिकारी श्री रविन्द्र सिंह कविया के रीडर श्री देवी सिंह हैड कानि0 के कक्ष में से निकालकर पेश की उक्त पत्रावली में पेज 01 लगायत 59 के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पत्रावली की ट्रैप कार्यवाही आवश्यकता होने पर श्री मृत्यूंजय मिश्रा पुलिस उप अधीक्षक वृत्त बानसूर को पत्रावलीं की प्रमाणित फोटो प्रति पेश

करने के निवेदन करने पर उनके द्वारा उक्त पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति पेज 01 से 59 पेश की जिन्हें ट्रैप कार्यवाही मे वांछित होने के कारण सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर वास्ते वजह सबूत जरिये फर्द जप्ती जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा मूल पत्रावली श्री मृत्यूंजय मिश्रा पुलिस उप अधीक्षक वृत्त बानसूर को वास्ते अग्रिम कार्यवाही सुपुर्द की गई। इसके बाद समय 12.35 एएम पर आरोपी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री यादराम जाति जाट उम्र 49 वर्ष निवासी– मुण्डावर रोड हरसौली, पुलिस थाना खैरथल, जिला अलवर हाल हैड कानि0 नं. 820 पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर से परिवादियां श्रीमती मुकेश देवी से उसके दिनांक 17.07.2022 से थाने पर बैठाये हुये पति श्री सतीश कुमार को छुडवाने एवं उसके खिलाफ पुलिस थाना बानसूर में दर्ज मुकदमा नम्बर 434/22 को रफादफा करने के बदले में मांग कर प्राप्त की गई 1.40 लाख रूपये की रिश्वत राशि के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिव कर पढाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया तथा समय 01.10 एएम पर परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी के थाना बानसूर में अवैध हिरासत में बैठाये हुये पति श्री सतीश कुमार पुत्र श्री. प्रताप सिंह जाति जाट उम्र 43 साल निवासी–ग्रम हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर से पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिव कर पढाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 01.40 एएम पर पाबन्द शुदा श्री महेश कुमार कानि. चालक मय श्रीमति सुनीता गुप्ता महिला कानि0 201 के जरिये सरकारी वाहन टवेरा के अलवर से उपस्थित थाना बानसूर आया। इसके बाद समय 01.45 एएम पर आरोपी श्री सुरेश कुमार, हैड कानि0 नं. 820 पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर को जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 व 120बी भा.द.सं में जुर्म से आगाह कर गिरफ्तार किया गया। वक्त गिरफ्तारी आरोपी सुरेश कुमार हैड कानि0 की जामा तलाशी में उसकी पहनी हुई जीन्स की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से एक पर्स बरंग ब्राऊन जिसमें एक एटीएम एसबीआई बैंक का एवं मालखाना की चाबीयां तथा 7900/–रूपये नगद मिले साथ ही एक मोबाईल मेक **Realme RMX1827** डबल सिम बरंग काला मिला जिसके सिम नं. उक्त मोबाईल फोन से श्री अजय कुमार हैड कानि0 के माबाईल फोन नं. 7240464552 पर कॉल पर सिंम नम्बर ज्ञात किये गये तो उक्त मोबाईल नं. में सिंम नं. 8619651470 व 9414575149 होना पाया गया। आरोपी व परिवादिया के मध्य वार्ता हुई होने के कारण उक्त मोबाईल फोन को मय सिम सहित पृथक से वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया जाने हेतु रखा जाकर जामा तलाशी में आरोपी के मिले पर्स एवं उसमें रखे एक एटीएम एसबीआई बैंक का एवं मालखाना की चाबीयां तथा 7900/–रूपये को आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 कहे अनुसार पुलिस थाना बानसूर के श्री गिर्राज सिंह हैड कानि0 52 को सुपुर्द किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना भी आरोपी के कहे अनुसार श्री गिर्राज सिंह हैड कानि0 52 को दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा समय 02.20 एएम पर दौराने गिरफ्तारी वक्त जामा तलाशी में आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 नम्बर– 820 पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर के पास मिले मोबाईल फोन मेक **Realme RMX1827** डबल सिम बरंग काला जिसमें दो सिम नम्बर– क्रमशः 8619651470 व 9414575149 लगी हुई एवं आईएमईआई नम्बर–क्रमशः–865094047169930, 865094047169922 है,। आरोपी सुरेश कुमार हैड कानि0 व परिवादिया के मध्य वार्ता होने के कारण उक्त मोबाईल फोन को मय सिम सहित वास्ते वजह सबूत जरिये फर्द जप्ती जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 02.50 एएम पर मन पुलिस उप अधीक्षक दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं श्री अजय कुमार हैड कानि0 व श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 व श्रीमति सुनीता गुप्ता महिला कानि0 नम्बर 201 के पुलिस थाना बानसूर के महेन्द्र कुमार एएसआई को हमराह लेकर आरोपी श्री रविन्द्र सिंह कविया पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना बानसूर के थाना परिसर में प्रथम मंजिल पर स्थित सरकारी आवास की खाना तलाशी हेतु उक्त आवास पर पहुंचा जहां पर आरोपी रविन्द्र सिंह कविया थानाधिकारी की पत्नी श्रीमती सरला कंवर एवं पुत्री आरूषी कविया की मौजूदगी में उक्त आवास की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के

हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द की एक प्रति निशुल्क आरोपी रविन्द्र सिंह की पत्नी श्रीमती सरला कंवर को दी गई, इसके बाद समय 3.50 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एवं परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी व उसके पति श्री सतीश कुमार की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका घटना स्थल तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 06.12 एएम पर ट्रेप कार्यवाही सम्बन्धित रपट पुलिस थाना बानसूर के ऑनलाईन रोजनामचाआम में दर्ज कराकर रपट नकल प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जाकर मन पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादिया एवं उसके लडके साहिल एवं अवैध रूप से हिरासत में बैठाये हुये परिवादिया के पति श्री सतीश कुमार को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला अलवर एवं मौके पर उपस्थित श्री मृत्यूंजय मिश्रा पुलिस उप अधीक्षक वृत्त बानसूर के निर्देशानुसार लेकर एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 नम्बर 820 को व जप्त शुदा आर्टिकल्सों को साथ लेकर जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहनों व दो प्राईवेट मोटरसाईकिलो के घटना स्थल पुलिस थाना बानसूर से रवाना एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय होकर समय 07.50 एएम पर हमराहियान एवं गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 नम्बर 820 के एसीबी कार्यालय अलवर द्वितीय पहुंचा, जहां पर बजह सबूत समस्त आर्टिकल मय रिश्वत राशि, धोवन की सील्ड शीशीयों को जमा मालखाना जरिये मु0 आरक्षक करवाया गया तथा गिरफतार शुदा आरोपी सुरेश कुमार हैड कानि0 को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में रखा गया तथा श्रीमती सुनीता महिला कानि0 व नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 को अपनी सकूनत के लिये रवाना किया गया तथा समय–08.05 एएम पर गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 नम्बर 820 का सामान्य चिकित्सालय अलवर से स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु चिकित्सा अधिकारी राजीब गांधी सामान्य चिकित्सालय अलवर के नाम पत्र क्रमांक 867/03.08.2022 एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना अरावली विहार अलवर में बन्द हवालात कराने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना अरावली विहार अलवर के नाम पत्र क्रमांक 868/03.08.2022 जारी कर श्री सतीश कुमार कानि0 275, श्री रामजीत सिंह कानि0 नम्बर 206 के जरिये सरकारी वाहन मय चालक महेश कुमार के सामान्य चिकित्सालय अलवर व पुलिस थाना अरावली विहार अलवर के लिये रवाना किया गया, जो समय 09.15 एएम पर गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 अरावली विहार अलवर में बन्द हवालात कराकर मय स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट व थाने के रो0 आम की प्रति के उपस्थित कार्यालय आये। इसके बाद समय 09.20 एएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी व उसके लडके साहिल के सामने मेरे कब्जे की कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादिया मुकेश देवी एवं आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 के मध्य दिनांक 01.08.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर डिजीटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेबिल स्पीकरों की मदद से सुना व परिवादिया एवं गवाहान को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की हूबहू फर्द ट्रासकिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये, उक्त वार्ताओं में परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी द्वारा अपनी एवं अपने पुत्र साहिल एवं पति श्री सतीश कुमार व आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 की आवाज होने की पहचान की। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता से शब्द–ब–शब्द मिलान किया तथा वार्ता ट्रांसकिप्ट का दोनो गवाहान तथा परिवादिया नरेश सिंह ने सही होना स्वीकार किया, तत्पश्चात डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से तीन खाली सीडीयों मैक मॉडल WRITEX CD-R CD-RECORDABLE 80MIN/700 MB 52X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता सही संग्रहित होना सुनिश्चित कर संग्रहित शुदा तीनों सीडीयों पर अलग अलग मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कराकर सीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा तीनों सीडीयों में से दो सीडी मार्क A-1, A-2 को

प्लास्टिक सीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर सीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग रखकर सुईधागे से सिलवाकर शील्ड मोहर कर मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक सीडी मार्क A-3 को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया तथा शील्डशुदा सीडी मार्क A-1, A-2 को मालखाना प्रभारी को जमा मालखाना हेतु सुपुर्द किया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की सीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं कांटछाट नही की गई । इसके बाद समय 02.40 पीएम पर परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी से प्राप्त शुदा विभागीय डिजिटल वॉईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 02.08.2022 को वक्त रिश्वत लेन–देन आरोपी सुरेश कुमार हैड कानि0 एवं परिवादिया के लडके साहिल के मोबाईल फोन एवं परिवादिया की आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 के मध्य हुई लेन–देन वार्ता रिकार्ड है, उक्त वाईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से कनैक्ट कराकर उसमें रिकार्ड मोबाईल वार्ता एवं लेन–देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना व परिवादिया एवं गवाहान को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासकिप्ट तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से तीन खाली सीडीयों मैक मॉडल WRITEX CD-R CD-RECORDABLE 80MIN/700 MB 52X में संग्रहित करवाया जाकर बाद मिलान वार्ता सही संग्रहित होना सुनिश्चित कर संग्रहित शुदा तीनों सीडीयों पर अलग अलग मार्क B-1, B-2, B-3 अंकित कराकर सीडीयों के उपर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा तीनों सीडीयों में से दो सीडी मार्क B-1, B-2 को प्लास्टिक सीडी कवरों में अलग अलग रखवाकर सीडीयों को कवरों सहित कपडे की थैलियो में अलग अलग रखकर सुईधागे से सिलवाकर शील्ड मोहर कर मार्का अंकित कराकर एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक सीडी मार्क B-3 को अनशील्ड वास्ते अनुसंधान पत्रावली पर रखा गया, उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की सीडीयां बनाने में किसी भी प्रकार की कोई छेडछाड एवं कांटछाट नही की गई, तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त कार्यवाही लेन–देन संबंधी सेव वार्ताओं के मूल एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी को डिजीटल वाईस रिकार्डर से निकालकर एक सफेद कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर उस कागज में रखकर वास्ते बजह सबूत एसडी कार्ड को कागज की चिट सहित एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क **SD** अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा दोनो शील्डशुदा सीडी मार्क **B-1, B-2** को एवं शील्ड एसडी कार्ड मार्क–**SD** को मालखाना प्रभारी को जमा मालखाना हेतु सुपुर्द किया गया तथा समय 04.40 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान बजह सबूत को सील्ड मोहर करने के काम में ली गई पीतल की नमूना सील नम्बर 53 को जरिये फर्द नष्ट करवाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द की एक प्रति गवाह श्री वीरेन्द्र शर्मा वरिष्ठ सहायक को दी गई ताबाद दोनो गवाहान को बाद हिदायत कार्यालय से रूकसत किया गया तथा समय 05.30 पीएम पर परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी को उसके लडके साहिल एवं पति श्री सतीश कुमार के श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक अलवर के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला अलवर कार्यालय से आये हुये श्री रतीराम हैड कानि0 नम्बर 10 के सुपुर्द कर कार्यालय से रवाना किया गया, तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 नम्बर 820 को पुलिस थाना अरावली विहार बन्द हवालात से जाप्ता के जरिये कार्यालय में लाया गया जिसे वास्ते जे/सी माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा,

अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से श्री रविन्द्र सिंह कविया पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना बानसूर जिला द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर स्वयं के लिये परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी पत्नी श्री सतीश कुमार निवासी गांव हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर से पुलिस थाना बानसूर में

परिवादिया के पति श्री सतीश कुमार के विरूद्ध दर्ज मुकदमा नम्बर– 434/2022 दिनांक 17.07.2022 धास 376, 506 आईपीसी में बाहैसियत तफ्तीशी अधिकारी होते हुये परिवादिया के पति श्री सतीश कुमार को थाना स्टाफ के जरिये दिनांक 17.07.2022 को उसके गांव हरसौली स्थित घर से थाना बानसूर में बुलाकर दिनांक 17.07.2022 से दिनांक 02.08.2022 तक नियम विरूद्ध बिना रिकार्ड के अवैध रूप से हिरासत में बैठाया जाकर उसे छोडने एवं मुकदमा को रफादफा करने की एबज में अपने मातहत श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 नम्बर 820 पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर से आपसी मिलीभगत कर उसके माध्यम से परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी से पूर्व में दो लाख रूपये की मांग कर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 01.08.2022 को 1,50,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर, उक्त मांग के अनुशरण में थानाधिकारी रविन्द्र सिंह कविया के कहे एवं मांगे अनुसार उसके लिये दिनांक 02.08.2022 को 1,40,000/–रूपये परिवादिया से प्राप्त करते हुये श्री सुरेश कुमार हैड कानि0 को मय रिश्वत राशि रंगे हाथों गिरफतार किया जाना तथा मुकदमा नम्बर 434/2022 की फाईल थानाधिकारी के रीडर कक्ष से बरामद होना तथा परिवादिया के पति श्री सतीश कुमार का पुलिस थाना बानसूर पर अबैध हिरासत में रखा हुआ मिलना तथा श्री रविन्द्र सिंह कविया पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी द्वारा पुलिस थाना पर नहीं मिलना एवं जरिये मोबाईल बुलाये जाने पर आने की कहने के बाबजूद भी उपस्थित नहीं होना एवं अपने मोबाईल का स्विच ऑफ कर लेना पाया गया है।

अतः श्री रविन्द्र सिंह कविया पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह बारैठ उम्र 51 वर्ष निवासी पैहला बाग सेवापुरा आमेर जिला जयपुर हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर व श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री यादराम जाति जाट उम्र 49 वर्ष निवासी– मुण्डावर रोड हरसौली, पुलिस थाना खैरथल, जिला अलवर हाल हैड कानि0 नं. 820 पुलिस थाना बानसूर जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधित 2018 व धारा 120 बी भा.दं.सं. में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(महेन्द्र कुमार)
उप पुलिस अधीक्षक,
अलवर निरीक्षण ब्यूरो,
अलवर द्वितीय, अलवर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-द्वितीय, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त श्री रविन्द्र सिंह कविया, हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी, पुलिस थाना बानसूर, जिला अलवर एवं आरोपी श्री सुरेश कुमार हाल हैड कानि0 नं. 820, पुलिस थाना बानसूर, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 308/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

4.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2693-99 दिनांक 4.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(सतर्कता), राजस्थान, जयपुर
5. पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर।
6. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर द्वितीय, अलवर।

4.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।